

पत्र: प-8/सीएफओ-करनपुर-पेट्रोल पम्प
सेवा में,

जिलाधिकारी

रामपुर।

विषय: ग्राम-करनपुर तहसील सदर जिला रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-114 पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक: 211/जे0ए0-2 तद दिनांक 11.12.2016 एवं शासनादेश संख्या: 2464/उ:- पु0-8-2005
दिनांक: 09, दिसम्बर 2005।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1-प्रश्नगत स्थल के सामने रोड़ की चौड़ाई मानक के अनुसार है।

2-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत है:-

1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।

2-ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के 04 अदद स्थापित कराये जायें।

3-नो स्मोकिंग बोर्ड एवं आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित करायी जायें।

4-05-05 अदद स्टेण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकैट स्थापित कराये जायें।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप।

2-प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

3-प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।

4-प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेंगे।

5-डीजल भण्डारण हेतु पेट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेंगे।

6-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस-1646-1982 व आई0एस0-2148 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

7-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किए जाने के उपरान्त प्रस्तावित पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करानी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 बरेली के प्रस्तावित किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही है आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
महानगर कार्यालय / Bareilly Divisional Office

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(रिहान अली)

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी

(रिहान अली) सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर